न्यायालय अपर सिविल जज(जू.डि.)/ न्यायिक मजिस्ट्रेट, गढ़मुक्तेश्वर, जनपद हापुड़।

पीठासीन अधिकारी, श्री पंकज कुमार–II, उ० प्र० न्यायिक सेवा (UP 3652)

UPHP120025972026

Bail Application –768/2026

वाद सं०–2586/2026

मु०अ०सं०–14/2026

सरकार बनाम केशव आदि

अंतर्गत धारा–115(2),352,351(2),351(3),324(4) बी.एन.एस.

थाना–बहादुरगढ़, जिला–हापुड़।

दिनांकः–02.07.2026

1. यह जमानत प्रार्थनापत्र अभियुक्त लेखराज पुत्र सुमेर सिंह की तरफ से वाद सं०–2586/2026, मु०अ०सं०–14/2026, सरकार बनाम केशव आदि, अंतर्गत धारा–115(2),352,351(2), 351(3), 324(4) बी.एन.एस., थाना–बहादुरगढ़, जिला हापुड़ के मामले में प्रस्तुत किया गया है। अभियुक्त व्यक्तिगत रूप से न्यायालय के समक्ष उपस्थित है।

2. अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया है कि अभियुक्त को उपरोक्त केस में झूठा फंसाया गया है। अभियुक्त ने कोई अपराध कारित नहीं किया है। अभियुक्त थाना से धारा 35(3)बी.एन.एस.एस. के नोटिस पर जमानत पर है। अभियुक्त का दौराने केस भागने एवं गवाहन तोड़ने का कोई अन्देशा नहीं है। अभियुक्त को दौरान मुकदमा उचित जमानत पर रिहा किया जाने की प्रार्थना की गयी है।

3. सुना तथा उपलब्ध प्रपत्रों का अवलोकन किया।

4. प्रस्तुत प्रकरण में आरोप पत्र न्यायालय को प्राप्त है। अभियुक्त व्यक्तिगत रूप से न्यायालय के समक्ष उपस्थित है तथा उक्त मामले में अभियुक्त थाना से धारा35(3)बी.एन.एस.एस. के नोटिस पर है। अतः मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाने के आधार पर्याप्त है।

आदेश

अभियुक्त लेखराज पुत्र सुमेर सिंह द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाता है। अभियुक्त को 20,000/–रूपये की एक जमानत तथा समान धनराशि का एक व्यक्तिगत बंधपत्र दाखिल करने पर जमानत पर रिहा किया जावे।

(पंकज कुमार–द्वितीय)
(जे.ओ. कोड– UP3652)
अपर सिविल जज (जू.डि.)/जे.एम.
गढ़मुक्तेश्वर, जिला हापुड़।